# *भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय*

## मांग संख्या 54

### भारी उद्योग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2001-2002 | | | संशोधित 2001-2002 | | | बजट 2002-2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | | 71.21 | 95.25 | 166.46 | 221.21 | 104.81 | 326.02 | 29.20 | 111.41 | 140.61 |
| *पूंजी* | | *106.79* | *385.60* | *492.39* | *65.00* | *635.60* | *700.60* | *70.80* | *400.00* | *470.80* |
| **जोड़** | | **178.00** | **480.85** | **658.85** | **286.21** | **740.41** | **1026.62** | **100.00** | **511.41** | **611.41** |
| 1.सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 3451 | 1.20 | 5.45 | 6.65 | 1.20 | 5.66 | 6.86 | 1.20 | 5.80 | 7.00 |
| **उद्योग** | | | | | | | | | | |
| **इंजीनियरिंग उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 2. आटोमेटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास | 2852 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 3. एच.एम.टी. (श्रीनगर) | 2852 | ... | 9.85 | 9.85 | ... | 9.85 | 9.85 | ... | 9.85 | 9.85 |
| *4. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता* | | | | | | | | | | |
| 4.01 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. | 2852 | ... | 3.88 | 3.88 | ... | 2.80 | 2.80 | ... | ... | ... |
| 4.02 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन | 2852 | ... | 36.74 | 36.74 | ... | 36.74 | 36.74 | ... | 36.74 | 36.74 |
| 4.03 एच.एम.टी. लि. | 2852 | ... | ... | ... | ... | 4.55 | 4.55 | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *...* | *40.62* | *40.62* | *...* | *44.09* | *44.09* | *...* | *36.74* | *36.74* |
| *5. गारंटी शुल्क संबंधी आर्थिक सहायता* | | | | | | | | | | |
| 5.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन | 2852 | ... | 2.64 | 2.64 | ... | 2.64 | 2.64 | ... | 2.64 | 2.64 |
| 5.02 हिन्दुस्तान केबल्स लि. | 2852 | ... | 1.12 | 1.12 | ... | 1.12 | 1.12 | ... | 1.12 | 1.12 |
| 5.03 भारत भारी उद्योग निगम लि. | 2852 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.56 | 0.56 | ... | 0.56 | 0.56 |
| 5.04 एच.एम.टी. लि. | 2852 | ... | 4.69 | 4.69 | ... | 4.69 | 4.69 | ... | 4.69 | 4.69 |
| 5.05 प्रागा टूल्स लि. | 2852 | ... | 0.37 | 0.37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *...* | *9.32* | *9.32* | *...* | *9.01* | *9.01* | *...* | *9.01* | *9.01* |
| 6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता | 2852 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 21.19 | 21.19 | ... | 25.00 | 25.00 |
| *7. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान* | 2852 | 70.00 | ... | 70.00 | 220.00 | ... | 220.00 | ... | ... | ... |
| 8. अन्य व्यय | 2852 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3.00 | 0.01 | 3.01 |
| **जोड़-उद्योग** | | **70.01** | **89.80** | **159.81** | **220.01** | **99.15** | **319.16** | **28.00** | **105.61** | **133.61** |
| 9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान | 4552 | 10.80 | ... | 10.80 | 7.28 | ... | 7.28 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 10. *सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण* | | | | | | | | | | |
| **इंजीनियरिंग उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 10.01 नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 0.53 | 0.53 | ... | ... | ... |
| 10.02 भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 5.63 | 5.63 | ... | ... | ... |
| 10.03 साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 9.03 | 9.03 | ... | ... | ... |
| 10.04 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. | 6858 | ... | 22.92 | 22.92 | ... | 82.74 | 82.74 | ... | ... | ... |
| 10.05 माईनिंग एंड अलायडमशीनरी कारपोरेशन लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 55.35 | 55.35 | ... | ... | ... |
| 10.06 पुनर्वास उद्योग निगम लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 0.70 | 0.70 | ... | ... | ... |
| 10.07 भारत यंत्र निगम लि. | 6858 | ... | 12.90 | 12.90 | ... | 22.75 | 22.75 | ... | ... | ... |
| 10.08 भारत भारी उद्योग निगम लि. | 6858 | ... | 4.97 | 4.97 | ... | 63.71 | 63.71 | ... | ... | ... |
| 10.09 प्रागा टूल्स लिमिटेड | 6858 | ... | 5.61 | 5.61 | ... | 12.41 | 12.41 | ... | ... | ... |
| 10.10 इन्सट्रूमेंटेशन लि. | 6858 | ... | 4.05 | 4.05 | ... | 4.05 | 4.05 | ... | ... | ... |
| 10.11 हिन्दुस्तान केबल लि. | 6858 | ... | 14.00 | 14.00 | ... | 14.00 | 14.00 | ... | ... | ... |
| 10.12 स्वैच्छिक पृथक्करण योजना और साविंधिक बकायों के लिए एक मुश्त राशि | 6858 | ... | 150.00 | 150.00 | ... | 250.00 | 250.00 | ... | 250.00 | 250.00 |

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2001-2002 | | | संशोधित 2001-2002 | | | बजट 2002-2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| **उपभोक्ता उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 10.13 टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन | | | | | | | | | | |
| आफ इंडिया लि. | 6860 | ... | ... | ... | ... | 24.88 | 24.88 | ... | ... | ... |
| 10.14 टायर कारपोरेशन आफ | 6860 | ... | ... | ... | ... | 4.09 | 4.09 | ... | ... | ... |
| इंडिया लि. | 6860 | ... | 1.76 | 1.76 | ... | 1.76 | 1.76 | ... | ... | ... |
| 10.15 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. | 6860 | ... | ... | ... | ... | 1.45 | 1.45 | ... | ... | ... |
| 10.16 एन.ई.पी.ए. (नेपा) लि. | | | | | | | | | | |
| 10.17 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस | 6860 | ... | 13.67 | 13.67 | ... | 29.76 | 29.76 | ... | ... | ... |
| मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि. | 6885 | ... | ... | ... | ... | 1.38 | 1.38 | ... | ... | ... |
| 10.18 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम | | | | | | | | | | |
| 10.19 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की | 6854 | ... | 150.00 | 150.00 | ... | ... | ... | ... | 150.00 | 150.00 |
| पुनरुद्धार योजना के लिए एक | 6854 | ... | 5.72 | 5.72 | ... | 51.38 | 51.38 | ... | ... | ... |
| मुश्त राशि | *जोड़* | *...* | *385.60* | *385.60* | *...* | *635.60* | *635.60* | *...* | *400.00* | *400.00* |
| 10.20 भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लि | 4854 | 19.44 | ... | 19.44 | 10.88 | ... | 10.88 | 31.75 | ... | 31.75 |
| | 4858 | 28.19 | ... | 28.19 | 19.74 | ... | 19.74 | 11.56 | ... | 11.56 |
| 11. सरकारी उद्यमों में निवेश | 4860 | 8.82 | ... | 8.82 | 2.42 | ... | 2.42 | 2.95 | ... | 2.95 |
| | 6854 | 2.50 | ... | 2.50 | 2.50 | ... | 2.50 | ... | ... | ... |
| | 6858 | 28.19 | ... | 28.19 | 19.73 | ... | 19.73 | 11.58 | ... | 11.58 |
| | 6860 | 8.84 | ... | 8.84 | 2.44 | ... | 2.44 | 2.96 | ... | 2.96 |
| | 6885 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| | *जोड़* | *95.99* | *...* | *95.99* | *57.72* | *...* | *57.72* | *60.80* | *...* | *60.80* |
| *कुल जोड़* | | ***178.00*** | ***480.85*** | ***658.85*** | ***286.21*** | ***740.41*** | ***1026.62*** | ***100.00*** | ***511.41*** | ***611.41*** |
| **ख. सरकारी उद्यमों में निवेश** | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ |
| **इंजीनियरिंग उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 11.01 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. | 12858 | ... | 231.00 | 231.00 | ... | 350.00 | 350.00 | ... | 178.20 | 178.20 |
| 11.02 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. | 12858 | ... | 26.38 | 26.38 | ... | 159.00 | 159.00 | ... | 29.50 | 29.50 |
| 11.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन | | | | | | | | | | |
| लि. | 12858 | 3.78 | ... | 3.78 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| 11.04 स्कूटर्स इंडिया लि. | 12858 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 4.51 | 1.50 | 6.01 |
| 11.05 हिन्दुस्तान केबल्स लि. | 12858 | 13.50 | ... | 13.50 | 13.50 | ... | 13.50 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 11.06 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड | 12858 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | 35.00 | 40.00 | 2.65 | ... | 2.65 |
| 11.07 एन्ड्रयु यूल एंड कम्पनी लि. | 12858 | 1.80 | 4.61 | 6.41 | 1.80 | ... | 1.80 | ... | ... | ... |
| 11.08 प्रागा टूल्स निगम लि. | 12858 | 3.00 | ... | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.09 भारत यंत्र निगम लि. | 12858 | 12.30 | 14.50 | 26.80 | 7.30 | 14.50 | 21.80 | ... | 16.50 | 16.50 |
| 11.10 भारत भारी उद्योग निगम लि. | 12858 | 11.00 | 2.24 | 13.24 | 5.86 | ... | 5.86 | 9.98 | 1.50 | 11.48 |
| 11.11 | 12858 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... | 3.00 |
| 11.12 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (भारत) | | | | | | | | | | |
| लि. | 12858 | ... | 5.70 | 5.70 | 0.01 | 5.70 | 5.71 | ... | 6.22 | 6.22 |
| **जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग** | | **56.38** | **286.43** | **342.81** | **39.47** | **566.20** | **605.67** | **26.14** | **233.42** | **259.56** |
| **उपभोक्ता उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 11.13 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. | 12860 | 0.01 | 84.74 | 84.75 | 0.01 | 75.27 | 75.28 | 0.01 | 85.61 | 85.62 |
| 11.14 एन.ई.पी.ए. लि. | 12860 | 10.80 | ... | 10.80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11.15 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. | 12860 | 1.25 | ... | 1.25 | 1.25 | ... | 1.25 | 3.90 | ... | 3.90 |
| 11.16 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स | | | | | | | | | | |
| मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि. | 12860 | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 11.17 टायर कारपोरेशन आफ | | | | | | | | | | |
| इंडिया लि. | 12860 | 2.60 | ... | 2.60 | 0.60 | ... | 0.60 | ... | ... | ... |
| **जोड़ - उपभोक्ता उद्योग** | | | | | | | | | | |
| **सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग** | | **17.66** | **84.74** | **102.40** | **4.86** | **75.27** | **80.13** | **5.91** | **85.61** | **91.52** |
| 11.18 सीमेंट कारपोरेशन आफ | | | | | | | | | | |
| इंडिया लि. | 12854 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | ... | ... | ... |
| 11.19 सार्वजनिक उद्यमों की सतत | | | | | | | | | | |
| व्यवहार्यता के लिए संकटकालीन | | | | | | | | | | |
| अधिशेष निवेश | 12854 | 16.94 | ... | 16.94 | 8.38 | ... | 8.38 | 5.00 | ... | 5.00 |

(करोड़ रुपए)

| | विकास शीर्ष | बजट 2001-2002 | | | संशोधित 2001-2002 | | | बजट 2002-2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ |
| **उद्योगों पर अन्य परिव्यय** | | | | | | | | | | |
| 11.20 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. | 12885 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| **जोड़** | | **95.99** | **371.17** | **467.16** | **57.72** | **641.47** | **699.19** | **37.05** | **319.03** | **356.08** |
| **ग. आयोजना परिव्यय** | | | | | | | | | | |
| 1. इंजीनियरिंग उद्योग | 12858 | 127.59 | 286.43 | 414.02 | 260.68 | 566.20 | 826.88 | 52.34 | 233.42 | 285.76 |
| 2. उपभोक्ता उद्योग | 12860 | 17.66 | 84.74 | 102.40 | 4.86 | 75.27 | 80.13 | 5.91 | 85.61 | 91.52 |
| 3. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग | 12854 | 21.94 | ... | 21.94 | 13.38 | ... | 13.38 | 31.75 | ... | 31.75 |
| 4. उद्योगों पर अन्य परिव्यय | 12885 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| 5. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | 10.80 | ... | 10.80 | 7.28 | ... | 7.28 | 10.00 | ... | 10.00 |
| **जोड़** | | **178.00** | **371.17** | **549.17** | **286.21** | **641.47** | **927.68** | **100.00** | **319.03** | **419.03** |

1. **सचिवालयः** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **आटोमेटिव उद्योगों का अनुसंधान व विकासः** इसमें ए.आर.ए.आई., पुणे, वी.आर.डी.ई., अहमदनगर और सी.आई.आर.टी., पुणे जैसे अनुसंधान संस्थानों में लगातार बदलते सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों का परीक्षण करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फार आटोमोबाइल एंड एलाइड इंडस्ट्री को अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

3. **एच.एम.टी. (श्रीनगर)** इसमें एच.एम.टी., श्रीनगर की वाच के संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।

4 और 5. **ब्याज और गारंटी शुल्क संबंधी आर्थिक सहायताः** इसमें हिन्दुस्तान केबल लि., बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि. (भारत भारी उद्योग निगम लि. की सहायक कम्पनी) एच.एम.टी. लि. और भारी इंजीनियरी निगम लि. को उनकी अनुमोदित पुनरुत्थान योजनाओं के पूंजीगत आधार की पुनर्सरंचना के लिए लेन-देनों के लेखा समायोजनों को लागू करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाती है।

6. इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक वित्त पोषण की व्यवस्था करने की एक स्कीम के तहत देय ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान है।

7 और 8. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदानः** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं (वी.आर.एस.) के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान है।

9. **अन्य व्ययः** यह व्यवस्था द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान आदि को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधानः**

10. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों से संबंधित है।

12. **सरकारी उद्यमों को गैर-सरकारी ऋणः** इसमें घाटा देने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके संसाधनों में अंतर को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों के लिए प्रावधान है। इसमें नकद हानियों, वी.आर.एस./वी.एस.एस. के कार्यान्वयन और कर्मचारियों के सांविधिक बकायों में कमी के व्यय को वहन करने के लिए 250.00 करोड़ रुपए का एक मुश्त प्रावधान किया गया है। घाटा देने वाली सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों की पुनर्सरंचना/पुनर्गठन पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 150.00 करोड़ रुपए का एक मुश्त प्रावधान किया गया है।

11 और 13. **सरकारी उद्यमों में निवेशः** इसमें ऋण और इक्विटी के लिए ज्यादातर 50:50 के अनुपात में बजटीय सहायता की व्यवस्था है जिससे विकास, विविधीकरण, गैर संकीर्णता, आधुनिकीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन आदि स्कीमों को शुरू किया जा सके या जारी रखा जा सके ताकि उनके कार्यनिष्पादन और व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

13.01 **भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेडः** यह 1960 में स्थापित की गई थी। यह कम्पनी बिजली बोर्डों और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, धातुकर्म और खनिज उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादक उपस्कर, पारेषण और ढुलाई, उपस्करों के विनिर्माण, पूर्ति, स्थापना और चालू करने का कार्य कर रही है। इसके 14 विनिर्माण प्रभाग, 8 सेवा केन्द्र और 4 विद्युत क्षेत्रक क्षेत्रीय केन्द्र हैं। कम्पनी ने टर्नकी आधार पर भारत और विदेशों में विद्युत स्टेशन सप्लाई किए हैं।

13.02 **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.:** इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह धीरे-धीरे देश के 10 विभिन्न राज्यों में फैली हुई 16 इकाइयों और 22 उत्पादन प्रभागों के साथ एक प्रमुख बहु इकाई और बहु-उत्पादक कम्पनी बन गई है। यह कम्पनी हाई प्रिसिशन मशीन टूल्स, मुद्रण मशीनरी, लैंप व लैंप बनाने की मशीनरी, ट्रैक्टर, हाथ की घड़ियों, होरोलोजिकल मशीनों और डेयरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही है। एच.एम.टी. की 4 अव्यवहार्य इकाईयों को बंद कर दिया गया है।

13.03 **हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेडः** यह 1958 में निगमित की गई थी। इसमें तीन इंजीनियरी इकाइयां शामिल हैं - हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दी हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउन्डरी फोर्ज प्लांट। निगम इस्पात प्लांट उपस्कर, उत्खनन, प्लानिंग मशीन, बोरिंग मशीन और कास्टिंग और फोरजिंग का भी उत्पादन करता है। बी.आई.एफ.आर. को एक पुनरुत्थान/पुनर्सरंचनात्मक योजना की स्वीकृत प्रदान की गई है जो कार्यान्वनाधीन है।

13.04 **माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.:**इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कम्पनी का उद्देश्य भूमिगत कोयला खनन के लिए उपस्कर हेतु कोयला खनन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करना है। कम्पनी कार्य न करने/बंद होने के लिए विचाराधीन है।

13.05 **स्कूटर्स इण्डिया लि.:** इसका निगमन 1972 में किया गया था। यह स्कूटर, तिपहिया स्कूटरों और पंखों का निर्माण कर रही है। बी.आई.एफ.आर. को एक पुनरुत्थान/पुनर्सरंचनात्मक योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस ने लाभ देना आरम्भ कर दिया है और बी.आई.एफ. के सीमा क्षेत्र से बाहर आ गई है।

13.06 **राष्ट्रीय इन्स्ट्रूमेन्टस लि.:** यह कम्पनी जून, 1957 में निगमित की गई थी। इस कम्पनी ने भूतपूर्व मैथेमैटिकल इन्स्ट्रूमेन्टस आफिस की परिसम्पत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण किया। यह कम्पनी विभिन्न किस्म के सर्वेक्षण और आप्टिकल उपस्करों का उत्पादन और व्यापार कर रही है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजना। असफल हो गई है और कम्पनी बंद होने की स्थिति में है।

13.07 **हिन्दुस्तान केबल्स लि.:** 1952 में स्थापित की गई थी। यह कम्पनी भारत में आधुनिक दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही है। इसके रूप-नारायणपुर, हैदराबाद और इलाहाबाद में 3 कारखाने है। कम्पनी ने इलाहाबाद में एक और आप्टीकल फाइबर केबल्स फैक्टरी स्थापित की है। पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजना कार्यान्वित की जा रही है।

13.08 **इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि.:** इसकी स्थापना, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, तेल शोधक कारखानों

और अन्य प्रक्रिया संयंत्रों को इन्स्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियां प्रदान करने में अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्च, 1964 में की गई थी। एक पुनरुत्थान योजना की स्वीकृति दी गई है।

13.09 **भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेडः** 1972 में इसकी संस्थापना की गई। यह कम्पनी फ्लिन्ट बटन, चश्मों के शीशों, विकिरण (रेडिएशन) परिक्षण खिड़कियां आदि के विनिर्माण कार्य में संलग्न है। एक पुनरुत्थान योजना बी.आई. एफ.आर. के विचाराधीन है।

13.10 **भारतीय साईकिल निगम लिमिटेडः** इस कम्पनी का निगमन मैसर्स सेन रेले के स्वामित्व वाले उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करके 1980 में किया गया था। ये "रेलेघ" ब्रान्ड नाम के अंतर्गत साइकिलों का निर्माण कर रहे हैं। अव्यवहार्य होने के कारण कम्पनी बंद होने/समाप्त होने के अधीन है।

13.11 **एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लि.**: इसकी 1976 में स्थापना की गई थी। प्राथमिक रूप से इकाईयां विनिर्माण कार्यकलापों में संलग्न थी; इस समय इस कम्पनी की आठ इकाइयां हैं जो औद्योगिक पंखे और चाय की मशीनें, एच.टी. और एल.टी. बिजली के उपस्कर, कान्ट्रेक्टर, ओवरलोड रिले, मोल्डेड केस सरकिट बेकर्स, विद्युत और वितरण ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, कन्वेयर बैल्ट, फैन और वी. बैल्ट, वायु-प्रदुषण नियंत्रण उपस्कर का निर्माण और चाय उत्पादन का काम करती है। एक पुनसर्रचनात्मक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

13.12 **प्रागा टूल्स लि.**: यह कम्पनी फरवरी, 1988 से एच.एम.टी. लिमिटेड की सहायक कम्पनी बन गई थी। इस कम्पनी के तीन प्रभाग है अर्थात् (i) मशीन टूल प्रभाग (ii) फोर्ज और फाउन्डरी प्रभाग और (iii)सी.एन.सी. प्रभाग। इस समय कम्पनी के मुख्य उत्पाद ये हैंः कटर और टूल ग्राइन्डर, सरफेस ग्राइन्डर, यूनीवर्सल मिलिंग मशीनें, कोपिंग लेथ, थ्रैड बोल्टिंग मशीनें और ड्रिलिंग मशीन फोरजिंग और उपकरण।

13.13 **भारत यंत्र निगम लि.**: इसे 1986 में छः सहायक कम्पनियों अर्थात् भारत हैवी प्लेट्स एंव वैसल्स, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्वरल्स लि., तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., रिचर्डसन एंड क्रूदास लि. (1972) और ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लि. के साथ धारक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। कम्पनी का निगमित कार्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। बी.आई.एफ.आर. ने भारत पंप और कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. और रिचर्डसन और क्रूदास लि. (1972) के लिए पुनरुत्थान/पुर्नसंरचनात्मक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

13.14 **भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेडः** सितम्बर, 1986 में एक नियंत्रित कम्पनी के रूप में इसकी संस्थापना की गई जिसमें सात सरकारी क्षेत्र उपक्रम अर्थात् बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि., जैसप एण्ड कम्पनी लि., जे.सी.एल., ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि., बी.सी.एल. भारत वैगन और इंजीनियरी कम्पनी लि., बी.डब्ल्यू.ई.एल. भारत प्रोसेसिंग और मैकेनिकल इंजीनियर्स लि., (बीपीएमईएल) और बी.बी.जे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. शामिल है। इसका निगमित कार्यालय कलकत्ता में है। बी.आई.एफ.आर. ने ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि., बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि. इसकी सहायक कम्पनियों सहित और जैसप एण्ड कम्पनी लि. के लिए पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजनाओं की स्वीकृति दी है जो कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत प्रोसेस एण्ड मकेनिकल इंजीनियरिंग कं. लि.(बी.पी.एम.ई.एल.) और इसकी सहायक कम्पनी वेहबर्ड इण्डिया लि. (डब्ल्यू.आई.एल.) को बंद कर दिया गया है और कम्पनियों को समाप्त कर दिया गया है। आर.बी..एल., जो बी.एस.सी.एल. और डब्ल्यू.आई.एल. कर्मचारियों को बी.एस.एसवी.आर.एस का प्रस्ताव दिया गया और कार्य युक्त कर दिया गया है। हानि देने वाली 7 रिफैक्टरी यूनिटों और जो बी.एस.सी.एल. जैलींधम फ्रेबीकेशनसार्ड भी बंद होने जा रहा है क्योंकि डेवी निर्माण असफल हो गया है।

13.15 **द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफ.सी.आर.आई.)**: इसकी 1987 में स्थापना की गई थी। द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान की स्थापना द्रव्य उपायों तथा नियंत्रण उपायों से संबंधित गतिविधियों को अपनाने के लिए तथा न केवल इस देश में बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भी प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए यू.एन.डी.पी. परियोजना के रूप में की गई थी।

13.16 **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.**: यह 1970 में निगमित की गई थी। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेश में टर्न की आधार पर औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आपूर्ति और उत्थान सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।

13.20 **हिन्दुस्तान कागज निगम लि.** - देश में इस की स्थापना 1970 में लुगदी और कागज तथा अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना करने के लिए की गई थी। इस की 2 इकाईयां और 3 सहायक कम्पनियां है। एक पुनर्सरंचनात्मक योजना विचाराधीन है। इस की घाटा देने वाली सहायक कम्पनियां मंदया नेशनल पेपर मिल्ज लि. को आई.डी.अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया है और अब समाप्त होने जा रही है।

13.21 **एन.ई.पी.ए.(नेपा) लि.**: इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह केवल न्यूजप्रिंट का उत्पादन करता है। इसके लिए एक पुनर्गठन योजना स्वीकृत की गई है।

13.22 **हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.**: इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह कम्पनी नमक और ब्रोमीन के उत्पादन और बिक्री करने के काम में लगी हुई है। इसकी एक सहायक कम्पनी है जिसका नाम सांभर साल्ट्स लिमिटेड है।

13.23 **हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि.**: यह कम्पनी 1960 में निगमित की गई थी। कम्पनी संवेदनशील फोटो फिल्म, सिने पाजिटिव (काली और सफेद), सिने फिल्म ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों आदि का निर्माण कर रही है। संचित हानियों के कारण इसे बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजा गया है। कम्पनी की पुनरुत्थान योजना पर विचार किया जा रहा है।

13.24 **टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडः** 1984 में इसकी स्थापना दो रूग्ण कम्पनियों यथा, मैसर्स इन्वेक टायर लिमिटेड और राष्ट्रीय रबड़ विनिर्माण लिमिटेड जैसे राष्ट्रीय उपक्रमों को शामिल करने के द्वारा हुई थी। इस उपक्रम में आटोमोबाइल और साइकिल टायरों, ट्यूबों और अन्य रबड़ से बनी वस्तुओं जैसे कि फेन और वी-बैल्टों का उत्पादन किया जाता है। कंपनी ने काकीनाड़ा स्थित अपनी टायर निर्माण इकाई का आधुनिकीकरण किया है। तथापि, संचित हानियों के कारण, यह बी.आई.एफ.आर. के संदर्भाधीन है।

13.26 **भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लि.**: यह 1965 में निगमित की गई थी। इसका उद्देश्य देश में सीमेंट के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों की स्थापना करना है। इसके 3 प्रचालनात्मक और 7 गैर प्रचालनात्मक एकक है। संचित हानियों के कारण यह बी.आई.एफ.आर. के संदर्भाधीन है। सी.सी.आई. की सभी इकाईयों को बेच जाने का प्रस्ताव है और प्रक्रिया चल रही है।

13.27 **सार्वजनिक उद्यमों की निरन्तर व्यवहार्यता के लिए निर्णायक सन्तुलित निवेशः** विभागों के अन्तर्गत अन्य सार्वजनिक उद्यमों के पक्ष में सरकारी स्वीकृतियों पर आधारित मुख्यतया पूंजी निवेशों के लिए निधियों की उनकी आवश्यकता के अनुसार नई सेवा/सेवा के नए लिखित दस्तावेज के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक मुश्त प्रावधान उत्तरवर्ती रूप में पुनर्विनियोजित किया जाएगा।

13.28 **राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.**: यह 1954 में देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निगमित की गई थी। इसके प्रचालन क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं, सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाएं, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल हैं।